केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18,संस्थागत क्षेत्र,शहीद जीतसिंह मार्ग
18, Institutional Area Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570, फैक्स/ FAX 26524580
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा. सं. 11085-15/2017-केविसं(मुख्या.)/प्रशासन-I/सीसीपीयू दिनांक :-29-03-2019

उपायुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

विषय :- शैक्षिक सत्र 2019-20 से केंद्रीय विद्यालयों वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट भरने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षकों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों तथा स्नातकोत्तर शिक्षकों के रिपोर्टिंग प्राधिकारी एवं पुनर्विलोकन प्राधिकारी में संशोधन के संबंध में

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर केविसं के दिनांक 29.03.2011 के पत्र संख्या 11085-8/2010-केविसं(मुख्या.)/प्रशासन–I /सीसीपीयू की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के स्थान पर वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को लागू करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। केन्द्रीय विद्यालय संगठन की अधिशासी मण्डल की 113 वीं बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों तथा स्नातकोत्तर शिक्षकों की वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के रिपोर्टिंग प्राधिकारी एवं पुनर्विलोकन प्राधिकारी संबंधी संशोधन को अनुमोदित किया है।

2. तदनुसार, शैक्षिक वर्ष 2019-20 से केंद्रीय विद्यालयों में निम्नलिखित संवर्गों की वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के रिपोर्टिंग एवं पुनर्विलोकन प्राधिकारी के लिए नई पद्धति को अपनाया गया है। इन संवर्गों के प्रत्येक पद के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की रिपोर्टिंग एवं उनके पुनर्विलोकन हेतु वर्तमान तथा संशोधित प्राधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान प्रावधान		संशोधित प्रावधान	
		रिपोर्टिंग प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी	रिपोर्टिंग प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी
1.	स्नातकोत्तर शिक्षक (सभी विषय)	संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक आयुक्त	संबंधित केंद्रीय विद्यालय के उप-प्राचार्य	संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य

2	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सभी विषय)				
3	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य)				
4	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (ड्राइंग)				
5	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कार्यानुभव)				
6	प्राथमिक शिक्षक	संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक आयुक्त	संबंधित केंद्रीय विद्यालय के मुख्याध्यापक	संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य
7	प्राथमिक शिक्षक (संगीत)				

(i) यदि किसी केंद्रीय विद्यालय में मुख्याध्यापक / उप-प्राचार्य का पद स्वीकृत ही नहीं है अथवा पद रिक्त है, वहाँ वर्तमान में जारी प्रावधान ही लागू रहेंगे।

(ii) जहां तक वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) संबंधी रिकॉर्ड के रख-रखाव का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे रिकॉर्ड का रख-रखाव संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पहले की भाँति ही किया जाता रहेगा।

(iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा संहिता का अनुच्छेद 87 तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

3. इन निर्देशों को अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के सभी केंद्रीय विद्यालयों में परिचालित करें। नियंत्रक अधिकारी शैक्षिक वर्ष 2019-20 से इन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

4. हिंदी के इस परिपत्र में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने की स्थिति में इस विषय पर जारी अंग्रेजी पत्र का मजमून मान्य होगा।

भवदीय,

29/3/19

(डॉ. शची कान्त)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण :-

1. आयुक्त, केविसं के कार्यकारी सहायक / निजी सचिव।
2. अपर आयुक्त (प्रशासन / शैक्षिक), केविसं के निजी सचिव।
3. उप सचिव, यूटी -2, मा.सं.वि.मं., नई दिल्ली।
4. निदेशक, समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान (ग्वालियर/ मुंबई/ मैसूर /चंडीगढ़ तथा भुवनेश्वर)।
5. सहायक आयुक्त, ईडीपी प्रकोष्ठ, केविसं (मुख्या.) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, मॉस्को, काठमांडू तथा तेहरान।
7. केविसं (मुख्या.) के सभी अधिकारियों / अनुभागों को सूचनार्थ।
8. केविसं के मान्यता प्राप्त सभी कर्मचारी संघों के सचिव / अध्यक्ष।
9. गार्ड फ़ाइल।